

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

--: आदेश ::--

कमांक-315/दो-11-1/2000(भाग-दो)

दमोह, दिनांक 23 जुलाई, 2022

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्त) नियम 2016 में वर्णित पदोन्नति संबंधी सुसंगत प्रावधान अनुसार एवं स्थापना पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 21.07.2022 को अनुमोदित करते हुए, स्थापना पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों से सहायक ग्रेड-तीन के रिक्त पद वेतनमान 5200-20200+1900/- ग्रेडपे (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल-4 वेतनमान 19500-62000/-) में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नानुसार शासकीय सेवकों को, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित शर्त/शर्तों के अध्याधीन, पदोन्नत किया जाता है :-

स. क.	चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	रिमार्क/शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रमेश तिवारी, आदेशिका वाहक	सहायक ग्रेड-तीन	1-दो वर्ष की समयावधि में, M.P. Agency for Promotion of Information Technology (MAP-I.T.) या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त अन्य किसी एजेन्सी/संस्थान से सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर अंकसूची/प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। 2-दो वर्ष की समयावधि में, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण कर अंकसूची व डिप्लोमा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। 3-उपरोक्त अर्हतायें मान्यता प्राप्त संस्था से ही प्राप्त कर प्रस्तुत होने पर सत्यापन के अध्याधीन होंगी।
2	श्रीमती आशा सोनी, आदेशिका वाहक	सहायक ग्रेड-तीन	1-दो वर्ष की समयावधि में, M.P. Agency for Promotion of Information Technology (MAP-I.T.) या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त अन्य किसी एजेन्सी/संस्थान से सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर अंकसूची/प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। 2-पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन उत्तीर्ण होने की जो अंकसूचियाँ एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वह सत्यापन के अध्याधीन होगा। 3-उपरोक्त अर्हतायें मान्यता प्राप्त संस्था से ही प्राप्त कर प्रस्तुत होने पर सत्यापन के अध्याधीन होंगी।
3	श्री शिवम पाण्डेय, जमादार	सहायक ग्रेड-तीन	1-दो वर्ष की समयावधि में, M.P. Agency for Promotion of Information Technology (MAP-I.T.) या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त अन्य किसी एजेन्सी/संस्थान से सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर अंकसूची/प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। 2-उपरोक्त अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था से ही प्राप्त कर प्रस्तुत होने पर सत्यापन के अध्याधीन होंगी।

टीप- पदोन्नत शासकीय सेवक, पदोन्नति के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर, निर्धारित प्रारूप पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प, इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
दमोह (म.प्र.)


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांक.-2130../ दो-11-1/2000(भाग-दो)

दमोह, दिनांक 23 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- जिला कोषालय अधिकारी दमोह
- 2- श्री रमेश तिवारी, आदेशिका वाहक दमोह
- 3- श्रीमती आशा सोनी, आदेशिका वाहक दमोह
- 4- श्री शिवम पाण्डेय, जमादार दमोह
- 5- लेखापाल/वेतन-ऐरियर्स लिपिक/पेंशन लिपिक/ऑफिस मोहररि/एच.एम.आर.एस. लिपिक/ऑफिस टाईपिस्ट कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 6- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
दमोह (म.प्र.)